

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागोरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 12/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956
अनवान

1. नारायण पिता नन्दा दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास
2. हीरा पिता नन्दा दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास
3. मगनी बेवा नन्दा दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास
4. काना पिता मोहन दरोगा नाबालिग जरिये माता बीना बेवा मोहन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. मीरा पिता मोहन दरोगा नाबालिग जरिये माता बीना बेवा मोहन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
6. गायत्री पिता मोहन दरोगा नाबालिग जरिये माता बीना बेवा मोहन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
7. बीना बेवा मोहन दरोगा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी बिरमियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामदास पिता प्रभूदास वैष्णव जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. शंकर पिता मेघा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. काना पिता मेघा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. फौजसिंह पिता कालूसिंह राजपूत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. भैरूसिंह पिता कालूसिंह राजपूत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक 11/02/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बिरमियास, पटवार हल्का आमा, भू.अ. क्षेत्र बडलियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की सरहद में खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि की आराजी संख्या 162/6 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सुदत खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक मंशा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट माफत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम बिरमियास, पटवार हल्का आमा, भू.अ. क्षेत्र बडलियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की सरहद में खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि की आराजी संख्या 162/6 रकबा 5 बीघा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 300 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।